

॥ १२०

पत्रावली प्रस्तुत । वकील पक्षकारान उपस्थित ।  
वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
आदेश 7 नियम ॥ सी.पी.सी. पर बहस की गई,  
बहस में उठाए गए बिन्दुओं पर मनन  
किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों  
का अवलोकन किया ।

वादी ने इकरारनामा दिनांक 02.07.98 के  
आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जाकारत  
में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की दरखलन्दगी  
को निवारित करने के लिए व्यादेश चाहा है।

प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बिलौरी  
पुत्री मंगतुराम के नाम से दर्ज है। अतः प्रमाणित  
है कि वादी प्रश्नगत भूमि का रिकॉर्डेड टिनेन्ट  
नहीं है।

इकरारनामा किन्हीं दो पार्टियों के मध्य  
का समझौता है और उस समझौते की तब तक  
कोई विधिक वैधता नहीं है, जब तक कि उस  
समझौतानुरूप बैयनामा पंजीकृत नहीं हो जाए  
अथवा संबंधित पक्ष द्वारा सक्षम न्यायालय के  
समक्ष वाद दायर कर विनिर्दिष्ट अनुतोष  
आदि नियम के तहत अनुतोष प्राप्त न कर लिया  
जावे । वस्तुतः इकरारनामों को किसी भी  
सम्पत्ति के अन्तरण का दस्तावेज नहीं माना  
जा सकता । हस्तगत वाद में सम्पत्ति का अन्तरण  
ही नहीं हुआ तो चाहा गया अनुतोष प्रदान  
करने पर ~~अ~~ विचारण करना औचित्यपूर्ण प्रतीत  
नहीं होगा ।

इकरारनामों के संबंध में अनुपालना  
काबत किसी भी प्रकार का अनुतोष प्रदान

करने में भी इस न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में न होने, चाहा गया अनुतोष इकरारनामे की विनिर्दिष्ट अनुपालना से संबंध होने एवं उक्त अनुतोष दिया जाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने के कारण न्यायालय की राय में इस वाद का विचारण करना विधिसम्मत नहीं है।

फलतः उपर्युक्त प्रेरणों के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ~~द्वारा~~ आदेश 7 निम्न ॥ एवं धारा 151 सी.पी.सी. यतद्वारा स्वीकार किया जाता है एवं हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

फैसलाखुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तर्कमूल नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
11.11.20